क्रम-सख्या–256

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 9 सितम्बर, 2015
भाद्रपद 18, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 1156 / 79-वि-1–15-1(क)-24-2015
लखनऊ, 9 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 7 सितम्बर, 2015 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2015 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2015)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000 की धारा 2 का संशोधन

2– उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

"(ज) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से है।"

धारा 3 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (2) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

"(2–क) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक को या से, इस अधिनियम के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कहा जायेगा।"

नई धारा 40-ख का बढ़ाया जाना

4–मूल अधिनियम की धारा 40-क के पश्चात, निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात :–

"40-ख उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2015 के प्रारम्भ होने के दिनांक से, किन्हीं नियमों, परिनियमों, विनियमों, अध्यादेशों एवं तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के सांविधिक लिखितों में या किसी दस्तावेज या कार्यवाहियों में उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को किये गये किसी संदर्भ को डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का संदर्भ माना जायेगा।"

उद्देश्य और कारण

प्रख्यात वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया है। एक वृत्तिक वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने भौतिक विज्ञान और अंतरिक्ष-यान निर्माण अभियांत्रिकी की शिक्षा ग्रहण की थी और भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी वे घनिष्ठ रूप से संलग्न रहे। भारत रत्न सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से उनके आदर्शों, दर्शन और अंतरिक्ष-यान निर्माण विज्ञान के क्षेत्र में उनके अनुसंधान कार्य का प्रसार करने और प्राविधिक संस्थानों के छात्रों को प्रेरित करने के लिए यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000) को संशोधित करके उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ का नाम परिवर्तित कर डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ कर दिया जाय।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 1156(2)/LXXIX-V-1-15-1(ka)24-2015

Dated Lucknow, September 9, 2015

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Pravidhik Vishwavidyalay (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2015) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 7, 2015.

THE UTTAR PRADESH TECHNICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) ACT, 2015

(U.P. Act no. 13 of 2015)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2015.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000 hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (h) the following clause shall be *substituted*, namely :- Amendment of section 2 of U.P. Act no. 23 of 2000

"(h) 'University' means Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow established under section 3."

3. In section 3 of the principal Act, *after* sub-section (2) the following sub-section shall be *inserted*, namely :- Amendment of section 3

"(2-A) On and from the commencement of the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2015, the Uttar Pradesh Technical University, Lucknow, established under this Act, shall be called Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow."

4. *After* section 40-A of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely :- Insertion of new section 40-B

"40-B With effect from the date of commencement of the Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Act, 2015 any reference to the Uttar Pradesh Technical University, Lucknow in any rules, statutes, regulations, ordinances and statutory instruments of any law for the time being in force or in any document or proceedings shall be construed as a reference to Dr. A. P. J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Dr. A.P.J. Abdul Kalam, an eminent Scientist and 11th President of India has done pioneering work in the field of Science and Technology. A career scientist, he studied physics and aerospace engineering and was intimately involved in India's civilian space programme and military missile development efforts. He was a recipient of several prestigious awards, including the Bharat Ratna. To perpetuate the memory of Dr. A.P.J. Abdul Kalam so as to spread his ideals, philosophy, research work in the field of Aero-space science and to inspire the students of Technical Institutes it has been decided to amend the Uttar Pradesh Technical University Act, 2000 (U.P. Act no. 23 of 2000) to change the name of the Uttar Pradesh Technical University, Lucknow as Dr. A.P.J. Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow.

he Uttar Pradesh Technical University (Amendment) Bill, 2015 is introduced accordingly.

By order,
BDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 492 राजपत्र–2015–(1158)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 62 सा० विधायी–10–9–2015–(1159)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।